

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 9 नियम 13 जा.दी. प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (वै.सं.)